न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्र० सख्या : 54/2012

1. रामकन्या बाई बेवा पूरणमल जाति माली निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां
2. इन्द्रा बाई पुत्री पूरणमल पत्नि राधेश्याम जाति माली निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां हाल निवासी लूडेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

.... प्रार्थीयागण

♠ बनाम ♠

1. मांगीलाल पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल
2. नारायण पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी केलवाडा तहसील किशनगंज जिला बारां
3. श्याम सुन्दर पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां
4. केदार लाल पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां
5. गुलाब बाई बेवा सूरजमल पुत्री पन्नालाल जाति माली नि० अमरपुरा तह० दीगोद जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : हिम्मताराम मेहरा (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री भंवर सिंह गौड

वकील अप्रार्थी : श्री रामस्वरूप नागर

दायरा दिनांकः 18.06.2012 निर्णय दिनांक : 31.07.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता व पति के खाता संख्या 1083 का खसरा नं0 2138 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 2140 रकबा 0.04 है0 खसरा नं0 2141 रकबा 0.18 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 आराजी प्रार्थीयागण के खातें में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीयागण का हिस्सा 1/6 नियत है। यह आराजी ग्राम सीसवाली में स्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थीयागण के हिस्से पर जबरन ताकत के बल पर काबिज होना चाहते है। प्रार्थीयागण के द्वारा पन्नालाल के खाते सेटलमेंट से पूर्व खाता संख्या 302 में खसरा नं0 1872 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं0 1873 रकबा 6 बिस्वा खसरा नं0 1874 रकबा 15 बिस्वा खसरा नं0 1875 रकबा 16 बिस्वा खसरा नं0 1879 रकबा 18 बिस्वा खसरा नं0 1880 रकबा 17 बिस्वा खसरा नं0 1881 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा प्रार्थीयागण के द्वारा पन्ना के खातें ग्राम सीसवाली में जमाबंदी सम्वत 2034 से 2037 में दर्ज है। यह आराजी ग्राम सीसवाली में स्थित है। प्रार्थीयागण के द्वारा पन्नालाल के फौत होने

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

अप्रार्थीगण ने चालाकी से षढयंत्र पूर्वक अपना नाम खातेदार पूरनमल को लाऔलाद बताते हुए अपना नाम खाते में दर्ज करवा लिया। इसी प्रकार खाता संख्या 301 का खसरा नं0 1695 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा खसरा नं0 2886 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में भी अपना नाम चालाकी से दर्ज करवाया। वर्तमान में उक्त आराजी खाता संखय 386 खसरा नं0 1616 रकबा 0.06 है0 खसरा नं0 1617 रकबा 0.09 है0 खसरा नं0 1618 रकबा 0.06 है0 खसरा नं0 2130 रकबा 0.04 है0 खसरा नं0 2134 रकबा 0.13 है0 खसरा नं0 2135 रकबा 0.08 है0 खसरा नं0 2136 रकबा 0.04 है0 खसरा नं0 2137 रकबा 0.05 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.55 है0 आराजी में 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। यह आराजी ग्राम सीसवाली में स्थित है इस खाते में खातेदार पन्नालाल के प्रार्थीयागण उत्तराधिकारी होने पर भी उनका नाम खाते में दर्ज नही कराया गया है। खाता संख्या 387 का खसरा नं0 2119 रकबा 0.04 है0 खसरा नं0 2120 रकबा 0.04 है0 खसरा नं0 2125 रकबा 0.11 है0 खसरा नं0 2127 रकबा 0.07 है0 खसरा नं0 4973 रकबा 1.42 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.68 है0 आराजी भी अप्रार्थीगण ने अपने नाम खाते दर्ज करा ली है। और प्रार्थीयागण का नाम खातें में दर्ज नही करवाया है, यह आराजी ग्राम सीसवाली में स्थित है। जिसके सेटलमेंट से पूर्व खाता संख्या 301 खसरा नं0 1695 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा खसरा नं0 2886 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा खातेदार प्रार्थीयागण पोत्री ससुर पन्नालाल के खाते जमाबंदी सम्वत 2034 से 2037 में दर्ज है। यह आराजी अप्रार्थीगण ने अपने खातें पन्ना की मृत्यु के बाद दर्ज करा ली को लाऔलाद बताया गया था, जबकि प्रार्थीयागण पन्ना के वैधानिक उत्तराधिकारी है। प्रार्थीयागण का इस आराजी में अप्रार्थीगण के साथ बराबर–बराबर का हिस्सा है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण व उनके वैध प्रतिनिधि के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करें कि अप्रार्थीगण व उनके वैध प्रतिनिधि प्रार्थीयागण की आराजी 1/6 हिस्से कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा व अवरोध उत्पन्न नही करेंगे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हमने अधिवक्ता की बहस सुनी। सम्पुर्ण विवेचनोपरान्त प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेजात के आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुचा हुं कि प्रार्थीयागण की आराजी खाता संख्या 1083 का खसरा नं0 2138 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 2140 रकबा 0.04 है0 खसरा नं0 2141 रकबा 0.18 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 वाके माल सीसवाली में हिस्सा 1/6 निहित है अतः अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो प्रार्थीयागण की उक्त वर्णित आराजी मे किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें एवं ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हों।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2017 को अदालत कोर्ट केम्प मांगरोल मजमेंआम सरेईजलास में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल